

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

फैक्स/ई-मेल

पटना, दिनांक / /2018

संख्या-3/विविध-83/2017-

/स्वा0, डा0 माधवेश्वर झा, प्रभारी अपर

निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अपर निदेशक, टी0बी0डी0सी0, दरभंगा के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
5. इस संबंध में पूर्व से निर्गत सभी आदेश को अवकमित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विविध-83/2017- 162(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 27/3 /2018  
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय  
(प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार,  
पटना/जिलाधिकारी, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा  
प्रमंडल, दरभंगा/डा0 माधवेश्वर झा, प्रभारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,  
दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त  
सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को  
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी